कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/माध्य/SIQE/60828/कलस्टर कार्यशाला/2017/ 78 दिनांक :-03-08-2018

एसआईक्यूई कार्यक्रम अन्तर्गत संकुल स्तरीय कार्यशालाओं हेतु परिपत्र

एसआईक्यूई कार्यक्रम का उद्देश्य राजकीय विद्यालय की प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में आयु व कक्षानुरूप वृद्धि सुनिश्चित करना है। उदेद्श्यों की पूर्ति हेतु शिक्षकों के क्षमता संवर्धन हेतु सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, सतत् संवाद व शैक्षिक संबलन का प्रावधान है। इसी क्रम में मानव संसाधान विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार प्रति वर्ष प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण/कार्यशाला आयोजित की जाती है। इसके अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं को अध्यापन करवाने वाले शिक्षक ग्रीष्मावकाश में 6 दिवसीय प्रशिक्षण एवं चार एक–एक दिवसीय कार्यशालाओं में सम्मिलित होते है। प्रत्येक दो माह में संकुल स्तरीय एक दिवसीय विषयवार कार्यशाला (प्रत्येक शिक्षक हेतु वर्ष में चार) आयोजित की जाती है। कार्यशालाओं को प्रभावी बनाने के लिए संकुल सन्दर्भ विद्यालयों (Cluster Resource School) का चयन किया गया है। यह कार्यशालाएं संकुल संदर्भ विद्यालय (CRS) पर संचालित की जाएगी।

संकुल संदर्भ विद्यालय की अवधारणा

संकुल संदर्भ विद्यालय से तात्पर्य है कि प्रत्येक ब्लॉक में 4 से 6 पंचायत के केन्द्र में स्थित एक विद्यालय को चिन्हित कर उस परिक्षेत्र के विद्यालयों के लिए संन्दर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया जाये। संकुल संदर्भ विद्यालय निकटतम विद्यालयों के 40–50 शिक्षकों के समूह के लिए निर्धारित दिनांक को विषयवार कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे। साथ ही एसआईक्यूई प्रक्रियाओं के लिए Demonstration Cum Resource Center बन सकेगें। इन केन्द्रो पर कार्यशाला में आने वाले शिक्षक अपने शैक्षिक अनुभवों को साझा करेंगे, कक्षा कक्षीय प्रकियाओं के दौरान आ रही चुनौतियों पर सामूहिक विचार विमर्श करेंगे, शैक्षिक नियोजन करेंगे तथा सीखने –सिखाने हेतु विभिन्न सहायक शिक्षण सामग्री तैयार कर सकेंगें।

संकुल संदर्भ विद्यालय का चयन निम्न मापदण्डों (Indicators) के अनुसार किया गया है –

- प्रत्येक ब्लॉक में 4 से 6 पंचायतों के विद्यालयों में से एक आदर्श विद्यालय को क्लस्टर विद्यालय के रूप में चिन्हित किया गया है।
- क्लस्टर विद्यालय अपने परिक्षेत्र में ऐसे स्थान पर स्थित हो जहाँ आवागमन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो ताकि निकटतम विद्यालयों के शिक्षक सुगमता से निर्धारित समय पर पहुँच सकें।
- प्रत्येक क्लस्टर विद्यालय पर 4 से 6 पंचायत के विद्यालय आवंटित किये गये हैं, अत: क्लस्टर विद्यालय के अतिरिक्त कक्षा–कक्ष या हॉल, जिसमें 50–55 व्यक्तियों की बैठक व्यवस्था हो सके, में कार्यशाला का आयोजन किया जाना हैं।
- विद्यालय में आईसीटी लैब, पुस्तकालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है।
- सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाप्रधान द्वारा एसआईक्यूई प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। इनके द्वारा सन्दर्भ व्यक्ति के रूप में भी कार्य किया जाना हैं।
- एसआईक्यूई प्रमाण–पत्र प्राप्त विद्यालय, लैब विद्यालय, ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र विद्यालयों को प्राथमिकता से क्लस्टर विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।

- राज्य में आदर्श विद्यालयों (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) को क्लस्टर विद्यालय के रूप में चिन्हित किया गया है। इन विद्यालयों में कोई भी परिवर्तन डीएजी एवं डीसीजी के द्वारा पारित प्रस्ताव को निदेशालय के अनुमोदन के पश्चात ही किया जा सकेगा।

क्लस्टर विद्यालय के मुख्य उदेद्श्य –

- स्वयं के परिक्षेत्र के (आवंटित) विद्यालयों के शिक्षकों की कार्यशाला का आयेाजन करना।
- स्वयं के विद्यालय को एक संदर्भ केन्द्र के रूप में प्रस्तुत करना। जहाँ एसआईक्यूई से संबंधित समस्त शैक्षणिक प्रक्रियाएं यथा– नियोजन, शिक्षण विधियाँ, दस्तावेजीकरण व प्रदर्शन आदि प्रत्यक्ष रूप में कक्षाओं में घटित होती दिखाई दें।
- कार्यशाला में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों को प्रत्यक्ष समर्थन प्रदान करना ।
- अपने परिक्षेत्र मे आने वाले विद्यालयों को शैक्षिक मार्गदर्शन/नेतृत्व प्रदान करना।

क्लस्टर विद्यालय विकसित करने की प्रक्रिया–

क्लस्टर विद्यालय क्लस्टर परिक्षेत्र के विद्यालयों के लिए संदर्भ केन्द्र बन सकें, यहाँ के संस्था प्रधान प्रभावी कार्यशालाएं करवा पायें तथा यहाँ के शिक्षक अपने अनुभवों को साझा कर दूसरे शिक्षकों को संबलन प्रदान कर सकें, इसके लिए शिक्षण–प्रक्रिया पर काम करने के साथ–साथ शिक्षकों, हैडटीचर व संस्था प्रधान सभी के साथ सतत् संवाद स्थापित करना आवश्यक होगा। कार्यशाला कैसे शिक्षकों के लिए सीखने–सिखाने का मंच बन सके इसके लिए संदर्भ व्यक्तियों के लिए नियमित आमुखीकरण करवाये जायेगें ताकि शिक्षकों को कार्य के दौरान आ रही चुनौतियों के सार्थक समाधान प्राप्त हो सके। क्लस्टर विद्यालयों को सन्दर्भ केन्द्र के रूप में स्थापित करने हेतु निम्न गतिविधियों संपादित की जायेंगी –

- जिले द्वारा चयनित केन्द्रों की सूची राज्य कार्यालय को प्रेषित की जायेगी तथा निदेशालय द्वारा क्लस्टर विद्यालयों के आदेश जारी किये जायेंगे।
- यदि इन विद्यालयों के संस्थाप्रधानों द्वारा राज्य स्तरीय एसआईक्यूई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है तो उन्हे प्राथमिकता से प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जायेगा।
- इन विद्यालयों के संस्थाप्रधानो व हैड टीचर्स के साथ वीसी के माध्यम से नियमित संवाद स्थापित किया जायेगा।
- क्लस्टर विद्यालयों का जिला व राज्य स्तर से प्रति माह अवलोकन किया जायेगा। इस अवलोकन के दौरान विद्यालय की प्रगति मापी जायेगी। यह प्रगति विद्यालय सर्टिफिकेशन के लिए निर्धारित विद्यालय विकास सूचकों के आधार पर ही देखी जायेगी। ये विद्यालय सूचक निम्न निर्धारित प्रपत्र में होंगे।

क्षेत्र	उपक्षेत्र	प्रदर्शन सूचक
	शिक्षण योजना	• सभी बच्चों के स्तर के अनुरूप योजना का निर्माण होता है, • योजना में पाठ्यपुस्तकों से इतर गतिविधियों का समावेश होता है, • योजना की पूर्व तैयारी में वांछित सामग्री का चयन किया जाता है, • योजना क्रियान्वयन की समीक्षा कर आवश्यक बदलाव किए जाते है।
	सतत आकलन योजना	• विभिन्न गतिविधियों एवं टूल्स के माध्ययम से सतत आकलन योजना का निर्माण किया जाता है। • बच्चों के सभी आयामों के आकलन की योजना बनायीं जाती है।
	समीक्षा	• समीक्षा का आकलन की प्रक्रिया में उपयोग होता है। • समीक्षा के माध्यम से आगामी योजना का निर्माण किया जाता है।

क्षेत्र	उपक्षेत्र	प्रदर्शन सूचक
शिक्षण वातावरण	कक्षा शिक्षण प्रक्रिया	• शिक्षण के दौरान एवं शिक्षण से पूर्व वातावरण निर्माण हेतु बालगीत, कविता, कहानी की जाती हैं। • शिक्षण में बालकेंद्रित गतिविधियाँ जिनमें बालगीत, खेल, कहानी, कला आदि गतिविधियों व टी.एल.एम का उपयोग होता है। • सभी बच्चों की सक्रिय सहभागिता भागीदारी को सुनिश्चित किया जाने लगा है। • गतिविधि अनुरूप बैठक व्यवस्था में लचीलापन है। • आवश्यकता व स्तर के अनुसार बच्चों को उपसमूह में शिक्षण कार्य करवाया जाने लगा है। • कला विषयों के साथ एकीकृत कर शिक्षण करवाया जाने लगा है।
	कक्षा–कक्षीय साज–सज्जा	• बालगीत, खेल, कहानी, कला, सहायक शिक्षण सामग्री इत्यादि से सम्बधित सामग्री का प्रदर्शन है। • प्रदर्शित सामग्री का समय–समय पर बदलाव होता रहता है। • प्रदर्शित सामग्री का समय–समय पर शिक्षण में उपयोग होता रहता है।
आकलन एवं मूल्यांकन	रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन	• बच्चों के शैक्षिक स्तरों के अनुसार शिक्षण के दौरान रचनात्मक आकलन संधारित किया जाने लगा है। • योगात्मक आकलन सभी आयामों (पेपर पेंसिल टेस्ट, रचनात्मक आकलन, कॉपी जाँच, आदि) को ध्यान में रख कर वस्तुनिष्ठ आधार पर किया जाने लगा है। • योगात्मक आकलन का एक आयाम पेपर पेंसिल टूल गुणवत्तापूर्ण है (अधिगम क्षेत्रों, बच्चों के स्तरों व टेक्सोनॉमी के अनुसार) • सभी दस्तावजों का उपयोग करते हुए बच्चे और शिक्षक के द्वारा समूह, परस्पर व स्वआकलन करने लगे है (प्रपत्रों में रिमार्क के आधार पर)
दस्तावेजीकरण	कार्यक्रम से सम्बन्धित दस्तावेजीकरण कार्य	• पाठ्यक्रम, अध्यापक योजना डायरी, चैकलिस्ट, वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका, पोर्टफोलियो आदि को समय–समय पर अद्यतन करते हुए निर्देशानुसार व्यवस्थित संधारण किया जाता है।
संस्थाप्रधान एवं हैडटीचर		• कार्यक्रम के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना। • सतत रूप से प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों को आवश्यक संबलन देना। • बच्चों के अधिगम स्तरों की समीक्षा करना व समीक्षा के अनुरुप कार्य करना। • प्राथमिक कक्षाओं में स्वयं हेड टीचर द्वारा एक या दो कालांश में शिक्षण कार्य करना। • बच्चों के अधिगम स्तरों की समीक्षा करना व समीक्षा के अनुरुप कार्य करना।

क्लस्टर विद्यालयों के विकास हेतु जिला स्तर के अधिकारियों एवं जिला अकादमिक समूह द्वारा निम्न दायित्वों का निर्वाह किया जायेगा –

- जिले के चयनित क्लस्टर विद्यालयों की मॉनिटरिंग व संबलन की समस्त जिम्मेदारी जिला कोर व अकादमिक समूह के सदस्यों की होगी।

- जिला अकादमिक समूह द्वारा प्रत्येक क्लस्टर विद्यालय के लिए एक जिला स्तरीय अधिकारी (DCG एवं DAG) को प्रभारी बनाया जाये। जिनके द्वारा आंवटित विद्यालय का नियमित परिवीक्षण एवं संबलन प्रदान किया जाये।
- प्रभारी अधिकारी प्रत्येक क्लस्टर कार्यशाला में सम्मिलित हो एवं कार्यशाला में शिक्षकों की नियमित व समयबद्व उपस्थिति सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यशाला में संदर्भ व्यक्ति की उपस्थिति भी सुनिश्चित करें।
- डाइट द्वारा प्रत्येक चयनित केन्द्र के लिए स्थानीय विषयवार सन्दर्भ व्यक्तियों की पहचान की जाये। संदर्भ व्यक्तियों के चयन में क्लस्टर विद्यालय के संस्थाप्रधान की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायें। यथासंभव संदर्भ व्यक्तियों के नाम क्लस्टर विद्यालय के संस्थाप्रधान से ही प्राप्त किये जाये।
- डाइट द्वारा संदर्भ व्यक्तियों को केन्द्र आवंटित करने के आदेश जारी किये जाये। संदर्भ व्यक्तियों के आमुखीकरण हेतु डाइट में संदर्भ व्यक्तियों की नियमित कार्यशालाएं आयोजित की जाये तथा संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।
- क्लस्टर विद्यालय के संस्थाप्रधानों को रोटेशन से (प्रति माह तीन) डीएजी एवं डीसीजी की बैठकों में आमंत्रित किया जाये।

क्लस्टर विद्यालय के संस्था प्रधान की भूमिका–

विद्यालय को क्लस्टर में आदर्श विद्यालय के रूप में प्रतिस्थपित करने में संस्था प्रधान की अहम भूमिका होगी। संस्था प्रधान के सक्रिय भागीदारी के बिना आदर्श विद्यालय की कल्पना करना निरर्थक होगा। अपने विद्यालय को व विद्यालय में आयोजित कार्यशालाओं को आदर्श रूप में स्थापित करने के लिए संस्था प्रधान द्वारा निम्न अकादमिक व प्रशासनिक कार्य किये जाये–

- स्वयं के विद्यालय में एसआईक्यूई के अन्तर्गत सभी कक्षा–कक्षीय प्रक्रियाओं को स्थापित करना तथा विद्यालय को एक Demonstration Center के रूप में विकसित करना।
- परिक्षेत्र के शिक्षकों हेतु निर्धारित दिनांक को कार्यशाला का आयोजन करवाना।
- शिक्षकों की नियमित, समयबद्ध व पूर्णकालिक उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- कार्यशाला हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं यथा– बैठक व्यवस्था, स्टेशनरी, वीडियो प्रदर्शन हेतु प्रोजेक्टर, स्पीकर्स आदि, माईक, पानी व जलपान आदि की व्यवस्था उपलब्ध करवाना।
- कार्यशाला में स्वयं के स्तर से शैक्षिक संबलन प्रदान करना।
- कार्यशालाओं के आयोजन हेतु सन्दर्भ व्यक्तियों की उपलब्धता व गुणवत्ता सुनिश्चित करना। अपने परिक्षेत्र के संदर्भ व्यक्तियों की पहचान कर सूची डाइट को भिजवाना।
- कार्यशाला में सम्मिलित शिक्षकों को स्वयं के विद्यालय का अवलोकन करवाना।
- कार्यशाला में स्वयं के विद्यालय की Best practices को साझा करते हुए शैक्षिक संबलन प्रदान करना एवं डीएजी/ डीसीजी बैठकों में विद्यालय की उपलब्धता एवं चुंनौतियों का साझा करना।
- कार्यशाला में सम्मिलित शिक्षकों की दैनिक डायरी पर हस्ताक्षर करना, उपस्थिति जारी करना एवं कार्यशाला से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज संधारित करना।
- कार्यशाला के दौरान शिक्षकों से फीडबैक प्राप्त करना तथा प्राप्त फीडबैक को डाइट को प्रेषित करना।
- स्वयं के विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों एवं विषय अध्यापकों का कार्यशाला में अधिकतम व अनुकूलतम उपयोग सुनिचित करना।
- प्रत्येक दो माह में एक बार संकुल परिक्षेत्र के विद्यालयों के संस्थाप्रधानों (PEEO) की बैठक आयोजित करना तथा शिक्षकों की उपस्थिति, प्रस्तुति एवं संस्थाप्रधानों द्वारा विद्यालय अवलोकन पर चर्चा कर पारस्परिक विमर्श करना एवं शैक्षिक उन्नयन हेतु योजना बनाना।

क्लस्टर कार्यशाला के उद्देश्य–

- शिक्षकों के साथ नियामित संवाद स्थापित कर शैक्षिक संबलन प्रदान करना।

- शैक्षिक नियोजन, बालकेन्द्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षण तथा सतत् व व्यापक मूल्यांकन प्रकियाओं पर शिक्षकों की समेकित समझ बनाना तथा इन प्रक्रियाओं पर सामूहिक अभ्यास के अवसर प्रदान करना।
- एसआईक्यूई प्रक्रियाओं की क्रियान्विति में शिक्षकों को आ रही चुनौतियों/समस्याओं के समाधान पारस्परिक विमर्श एवं संदर्भ व्यक्तियों के सहयोग से खोजना।
- Professional Learning Community व Peer Learning groups तैयार करना।
- Best Practices, शिक्षण सामग्री, शैक्षिक गतिविधियों को साझा कर संकलित करना ताकि ये सामग्री भविष्य में दस्तावेज के रूप में उपयोगी हो सके।
- विषय विशेषज्ञों के माध्यम से शिक्षकों को शैक्षिक समर्थन प्रदान करना।
- समूह/उपसमूह व व्यक्तिगत शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर करने की समझ बनाना।
- रचनात्मक व योगात्मक आकलन प्रक्रिया के लिए उपयुक्त टूल निर्माण करने की समझ विकसित करना एवं विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन उपकरणों (कार्यपत्रक, प्रश्न पत्र आदि) का निर्माण करना।

क्लस्टर स्तरीय बैठक समय सारणी –

- वर्ष में चार एक–एक दिवसीय क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाओं का विषयवार आयोजन होगा, जिन्हें निम्नलिखित तिथियों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, प्रत्येक कार्यशाला को दो–दो विषय समूह के लिए वर्णित तिथियों में से विषय समूहवार किसी एक–एक दिवस निर्धारित किया जाना है।

क्र.स	कार्यशाला	प्रथम समूह (हिन्दी तथा पर्यावरण विषय)	द्वितीय समूह (गणित तथा अंग्रेजी विषय)
1	प्रथम	6–11 अगस्त 2018	
2	द्वितीय	1–5 अक्टूबर 2018	
3	तृतीय	3–8 दिसम्बर 2018	
4	चतुर्थ	18–23 फरवरी 2019	

नोट –

- उक्त कार्यशालाओं में प्रथम एवं द्वितीय समूह की कार्यशाला 1–1 दिवस की होगी तथा दोनों कार्यशाला इस प्रकार आयोजित की जावे कि दोनों समूह की कार्यशाला के मध्य 2–3 दिवस का अंतर हो जिसकी सूचना राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।
- अपरिहार्य कारणों से उक्त तिथियों मे यदि कोई परिवर्तन हो तो जिले के माध्यम से संशोधित तिथि को प्रस्तावित कर निदेशालय से अनुमति प्राप्त कर ही कार्यशाला का आयोजन किया जाये।

कार्यशालाओं हेतु आवश्यक निर्देश –

- कार्यशाला आयोजन से पूर्व जिला अकादमिक समूह की बैठक आयोजित की जाये जिसमें कार्यशाला में प्रस्तुत किये जाने वाले शैक्षिक बिन्दु/सत्रों को अंतिम रूप प्रदान दिया जाये।
- समस्त संदर्भ व्यक्तियों व क्लस्टर विद्यालय के संस्था प्रधानों की एक दिवसीय बैठक ब्लॉक स्तर पर डाइट के माध्यम से आयोजित की जाये। डाइट फैकल्टी की सहभागिता इन बैठकों में आवश्यक रूप से हो।
- दक्ष प्रशिक्षकों की कार्यशाला में ही आवश्यक शिक्षण सामग्री की उपलब्धता हेतु क्लस्टर विद्यालय के संस्थाप्रधानों को पाबंद किया जाये।
- कार्यशाला में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों एवं क्लस्टरानुसार संदर्भ व्यक्तियों की सूची सत्रारंभ में ही (31 जुलाई 2018 तक) क्लस्टर विद्यालय के संस्था प्रधानों को उपलब्ध करवा दी जाये।
- समस्त पीईईओ को केन्द्रों पर आवंटित विद्यालयों एवं शिक्षकों की नामवार सूची 31 जुलाई 2018 तक प्रेषित की जाए।

- सूची विषयवार तैयार की जाये ताकि विषयवार पृथक –पृथक शिक्षक कार्यशाला में उपस्थित हों एवं विद्यालय भी सुचारू रूप से संचालित हो सके।
- समस्त पीईईओ को निर्देशित किया जाये कि वे अपने परिक्षेत्र के शिक्षक व संदर्भ व्यक्तियों की उपस्थिति अनिवार्यः रूप से कार्यशाला में सुनिश्चित करें। अनुपस्थित होने पर पीईईओ द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्देश भी दिया जाये।
- शिक्षकों को निर्देश दिये जायें कि वे कार्यशाला में अपनी डायरी, चैक लिस्ट पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तक तथा नमूने के कुछ पोर्टफोलियो साथ में लेकर आयें।
- कार्यशालाओं के एजेण्डा में जिला स्तर से आवश्यकतानुसार विस्तार किया जा सकता हैं।
- जिला स्तर से समस्त संकुल केन्द्रो के संस्थाप्रधानों की एक दिवसीय डाइट स्तर से बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा–निर्देश एवं कार्यशाला के उदेद्श्य अनुरूप उनकी सहभागिता को सुनिश्चित किया जाये।
- कार्यशाला प्रस्तावित कार्यक्रम व समय सारणी के अनुसार संचालित हो।

क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाओं की सफलता के मापदण्ड/सूचकः–

प्रस्तावित कार्य योजना को पूर्ण तैयारी एवं उपरोक्त निर्देशों अनुसार किया जाये। प्रत्येक कार्यशाला के पश्चात होने वाली डीएजी/डीसीजी बैठक में कार्यशालाओं की समीक्षा निम्न संकेतकों के आधार पर की जाये।

- कार्यशाला का समय पर आयोजन होना।
- कार्यशाला की पूर्व तैयारी करना।
- डाइट के माध्यम से केआरपी की विषयवार पूर्व तैयारी करवाना।
- जिला स्तरीय बैठकों मे संकुल सन्दर्भ केन्द्र के संस्थाप्रधान, ब्लॉक प्रभारी, बीईईओ एव डाइट फैकल्टी का होना।
- शिक्षकों एवं संदर्भ व्यक्तियों की शत प्रतिशत उपस्थिति होना।
- कार्यशाला पूर्व क्लस्टर विद्यालय के पीईईओं के साथ बैठक कर कार्यशाला का नियोजन करना।
- प्रत्येक विद्यालय द्वारा Best practice की Sharing करना।
- संस्थाप्रधान द्वारा कार्यशाला की मॉनिटरिंग व संबलन करना।
- विषयवार सहायक शिक्षण सामग्री एवं कार्य पत्रकों का निर्माण करना।
- शिक्षकों की समस्या समाधान के लिए अधिक अवसर दिया जाना।
- कक्षा–प्रक्रिया का डेमो/वीडियो दिखा कर चर्चा करना।
- कार्यशाला उपरान्त समीक्षात्मक प्रतिवेदन तैयार करना।
- क्लस्टर विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा कार्यशाला की पूरी प्रक्रिया का वीडियो तैयार करना।

प्रभावी कार्यशालाओं के माध्यम से कक्षा–कक्षीय प्रक्रियाओं, बाल केन्द्रित एवं गतिविधि आधारित बन सकें, बच्चों के शैक्षणिक स्तरों में उन्नयन हो, शिक्षकों को नियमित शैक्षिक मार्गदर्शन मिल सके तथा शिक्षक अपनी व्यवसायिक दक्षताओं को परस्पर साझा कर शैक्षिक गुणवत्ता के लिए सतत् प्रयास कर सके इसी संकल्पना के साथ इन कार्यशालाओं को आयोजित किया जाना अपेक्षित है।

क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाओं की प्रस्तावित कार्य योजना :–

- क्लस्टर क्षेत्र के समस्त विद्यालयों (प्राशि/उप्राशि/माशि./उमाशि) की कक्षा 1 से 5 में अध्यापन करवाने वाले समस्त शिक्षक अनिवार्य रूप से कार्यशाला में सम्मिलित होगें प्रति कार्यशाला एक विद्यालय से अधिकतम दो शिक्षक (प्रति विषय एक शिक्षक) भाग लें सकेंगे।
- कार्यशाला का आयोजन एक पारी विद्यालय समय के अनुसार किया जायेगा, कार्यशाला में विषयवार सत्रों का समय विभाजन संलग्न है।

- अवलोकन करने के पश्चात समस्त अवलोकनकर्ता कार्यशाला से संबधित सूचना तत्काल लिंक https://tinyurl.com/yck3cmex पर UPLOAD करना सुनिश्चित करें।

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
I.A.S.
निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

(नथमल डिडेल)
I.A.S.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
6. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्,जयपुर।
7. मण्डल उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा समस्त को भेजकर लेख है कि आपके अधीनस्थ जिलों में आयोजित होने वाली कलस्टर कार्यशालाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग करावें।
8. जिला शिक्षा अधिकारी मा.शि./प्रा.शि. समस्त को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले में आयोजित होने वाली क्लस्टर कार्यशालाओं के लिए निर्धारित अवधि में निर्देशानुसार तिथियाँ निर्धारित कर राज्य कार्यालय को मेल द्वारा हस्ताक्षरित प्रति एवं सॉफ्ट प्रति (एक्सल शीट) में भिजवाएं तथा आयोज्य कार्यशालाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग प्रभारी नियुक्त करते हुए किया जाना सुनिश्चित करें।
9. शिक्षा विशेषज्ञ यूनिसेफ राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, बोध शिक्षा समिति कूकस, जयपुर।
11. डाइट प्राचार्य, समस्त को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि समस्त ब्लॉक प्रभारी द्वारा क्लस्टर कार्यशालाओं की मॉनिटरिंग करवाया जाना सुनिश्चित करें।
12. समस्त संस्थाप्रधान क्लस्टर विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित दिनांक को आयोजित क्लस्टर कार्यशाला की समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए मॉनिटरिंग करें एवं क्लस्टर के अधीन आने वाले समस्त विद्यालयों को कार्यशाला के तीन दिवस पूर्व सूचना देना सुनिश्चित करें।
13. कम्प्यूटर अनुभाग माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करवाने हेतु।
14. अनुभाग अधिकारी, शिविरा पत्रिका को आगामी अंक में प्रकाशित करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
I.A.S.
निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

(नथमल डिडेल)
I.A.S.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

बैठक	1.30 घंटे (Sharing session)	1.30 घंटे शैक्षिक सत्र (including hands-on experience; learning by doing)	1.30 घंटे (addressing challenges, academic questions of teachers by resource person)	1.30 घंटे (planning, demonstration and visit within CRS school)
प्रथम	• प्रथम आधा घंटे में परिचय और कार्यशाला के उदेश्य • CRS विद्यालय में कक्षा–कक्षीय प्रकियों का अवलोकन (learning walk through observation) • आधार रेखा आकलन/पदस्थापन के परिणामों को साझा करना • बच्चों के स्तरों के अनुसार शिक्षण योजना का प्रस्तुतीकरण (संभागियों द्वारा)	• प्रथम टर्म के पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को समझकर उनके अनुसार गतिविधियाँ, कार्यपत्रक, शिक्षण सामग्री पर चर्चा करना। • उद्देश्यों के अनुसार प्रथम पाक्षिक योजना के अनुसार गतिविधियों, कार्य– पत्रक व सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण करना। (सामूहिक कार्य) • रचनात्मक /योगात्मक आकलन की प्रक्रियाको समझाना।विद्यालय सूचकों को समझना।	• खुला सत्र –SIQE आधारित प्रक्रियाओं मे आ रही चुनौतियों के समाधान (संभागियों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के मध्य सार्थक संवाद) • बहुस्तरीय एवं बहुकक्षीय (MGML) पर चर्चा।	• डेमों कक्षा का प्रदर्शन/ वीडियों द्वारा • व्यक्तिगत कार्य–पाक्षिक योजना एवं उसके आनुसार शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करना।
द्वितीय	• वातारण निर्माण (चेतना/बालगीत) • CRS विद्यालय में कक्षा–कक्षीय प्रकियों का अवलोकन (learning walk through observation) • संगागियों द्वारा – प्रथम योगात्मक आंकलन का विश्लेषण करना व बच्चों की प्रगतिको देखना (प्रस्तुतीकरण) • रचनात्मक आकलन चैकलिस्ट की विवेचना करना। (समूह कार्य) • आकलन की प्रक्रिया पर बातचीत करना। (समूह कार्य)	• समूह दो के बच्चों के साथ काम की योजना पर चर्चा तथा एस एल एस पैकेज का प्रस्तुतीकरण। • द्वितीय टर्म के पाठ्यक्रम के उद्देश्योंको समझकर उनके अनुसार गतिवधियाँ, कार्यपत्रक, शिक्षण सामग्री पर चर्चा करना। (संदर्भ व्यक्ति प्रस्तुति) • उद्देश्यों के अनुसार पाक्षिक योजना के अनुसार गतिविधियाँ, कार्य–पत्रक व सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माणकरना। (सामूहिक गतिविधि कार्य) रचनात्मक/ योगात्मक आकलन की प्रक्रियाको समझाना। विद्यालय सूचकोंको समझना। (संभागियों द्वारा प्रस्तुतीकरण)	• विद्यार्थि अभिलेख पंजिका संधारण, कार्य– पत्रक तथा अभिभावक टिप्पणी पर चर्चा। • बहुस्तरीय एवं बहुकक्षीय (MGML) पर चर्चा।	• डेमोंकक्षा का प्रदर्शन/ वीडियों द्वारा • व्यक्तिगत कार्य–पाक्षिक योजना का निर्माण • सीआरएस विद्यालय के शिक्षकों की बेस्ट प्रेक्टिस को साझा करना। • विद्यालय सूचकोंको समझना। • अपने विद्यालय का चरण निर्धारण करना (Based on School Certification)
तृतीय	• वातारण निर्माण (चेतना/बाल गीत) • CRS विद्यालय में कक्षा–कक्षीय प्रकियों का अवलोकन (learning walk through observation) • समूह दो के बच्चों की प्रगति की समीक्षा करना। • बच्चों के स्तरों के अनुसार शिक्षण योजना की समीक्षा करना व योजना बनवाना।	• तृतीय टर्म के पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को समझकर उनके अनुसार गतिवधियाँ, कार्य–पत्रक, शिक्षण सामग्री पर चर्चाकरना। (सन्दर्भ व्यक्ति) • उद्देश्यों के अनुसार प्रथम पाक्षिक योजना के अनुसार गतिविधियाँ, कार्यपत्रक व सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण करना। (सामूहिक गतिविधि) रचनात्मक/ योगात्मक आकलन की प्रक्रियाको समझाना।विद्यालय सूचकों को समझना। (संभागियों द्वारा प्रस्तुतीकरण)	• खुला सत्र –SIQE आधारित प्रक्रियाओं मे आ रही चुनौतियों के समाधान (संभागियों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के मध्य सार्थक संवाद) • वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका व पोर्ट फोलियो संधारण पर चर्चा।	• डेमोंकक्षा का प्रदर्शन/ वीडियों द्वारा • व्यक्तिगत कार्य–पाक्षिक योजना का निर्माण • सीआरएस विद्यालय के शिक्षकों की बेस्ट प्रेक्टिस को साझा करना। • विद्यालय सूचकोंको समझना। • अपने विद्यालय का चरण निर्धारण करना (Based on School Certification)
चतुर्थ	• वातारण निर्माण (चेतना / बालगीत) • CRS विद्यालय में कक्षा–कक्षीय प्रकियों का (learning walk through observation) • समूह दो के बच्चों की प्रगति की समीक्षा करना। बच्चों के स्तरों के अनुसार शिक्षण योजना की समीक्षा करना व योजना बनवाना।	• प्रथम समूह के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम की गतिवधियाँ, कार्य–पत्रक, शिक्षण सामग्री पर चर्चा करना। • पाठ्यक्रम के अनुसार पाक्षिक योजना के अनुसार गतिविधियाँ, कार्यपत्रक व सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण करना। • बच्चों के शिक्षण में रहे Gaps पर कार्य की योजना बनाना।	• वार्षिक परिणाम समेकन पर चर्चा तथा प्रपत्र में भरने की प्रक्रिया को समझाना। • **खुला सत्र –SIQE आधारित प्रक्रियाओं में आ रही चुनौतियों के समाधान. संभागियों एवं संधर्भ व्यक्तियों के मध्य सार्थक संवाद**	• डेमोंकक्षा का प्रदर्शन/ वीडियों द्वारा • व्यक्तिगत कार्य–पाक्षिक योजना का निर्माण • सीआरएस विद्यालय के शिक्षकों की बेस्ट प्रेक्टिस को साझा करना। • विद्यालय सूचकों को समझना। • अपने विद्यालय का चरण निर्धारण करना (Based on School Certification)